भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1157

उत्तर देने की तारीख: 11.02.2021

बालिका शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

1157. **श्रीमती फूलो देवी नेतम :**

श्री सैयद नासिर हुसैन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच पर कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मार्च, 2020 और जनवरी, 2021 के बीच कुल कितनी छात्राओं ने प्राथमिक ओर माध्यमिक स्तर पर स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में परिकल्पित ' जेंडर इंक्लूजन फंड' आरंभ कर दिया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं ; और

(च) चालू और आगामी वित्त वर्ष में उक्त के लिए कितनी निधि आवंटित की जाएगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न डिजिटल पद्धितयों का उपयोग करते हुए स्कूलों में शिक्षा की ऑनलाइन पद्धति को अपनाया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की परिस्थिति में बालिकाओं सहित

स्कूली छात्रों के ऑनलाइन अध्ययन के परिदृश्य को समझने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनविएस) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मदद से माह जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के द्वारा एक सर्वेक्षण कराया था। एनसीईआरटी ने 'वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर' और 'छात्र अधिगम संवर्धन दिशा-निर्देश' तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित तीन प्रकार के परिदृश्यों के लिए मॉडलों का सुझाव दिया गया है :

(i) कोविड-19 के दौरान डिजिटल उपकरणों की सुविधा से वंचित छात्रों का अधिगम संवर्धन;

(ii) कोविड-19 के दौरान डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच वाले छात्रों के लिए अधिगम संवर्धन, और

(iii) कोविड-19 के दौरान डिजिटल उपकरणों वाले छात्रों का अधिगम संवर्धन।

मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष या अध्ययन की हानि को रोकने के लिए प्रवासी मजदूरों की बालिकाओं सहित बच्चों की शिक्षा जारी रखने के संबंध में दिनांक 13 जुलाई, 2020 को दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, दिनांक 7 जनवरी, 2021 के दिशा-निर्देशों में स्कूलों के बंद होने और फिर पुन: खोले जाने के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए जाने वाले कदम, 6 से 18 वर्ष की आयु समूह के स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान करने, नामांकन अभियान चलाने और जागरूकता पैदा करने, स्कूल बंद होने के दौरान छात्र सहयोग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसन) की शिक्षा जारी रखने जैसी कार्रवाईयां शामिल हैं।

(घ) से (च) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में राष्ट्र की क्षमता के निर्माण के लिए विशेषकर ट्रांसजेंडर छात्रों तथा सभी बालिकाओं के लिए, जेंडर इन्कलूजन फंड (जीआईएफ) स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे कि ट्रांसजेंडर छात्रों और बालिकाओं को समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा सके। जीआईएफ स्थापित किए जाने संबंधी विभागीय गतिविधियां और इससे संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

****